

नवा

भारत

4

समय के प्रवाह में बढ़ती जाती एज पुराने नेता भी हो जाते हैं विंटेज

5

ईरान में 20 से ज्यादा मौतें, 582 गिरफ्तार

8

भारतीय अंडर-19 गेंदबाजों का दबदबा

9

वैश्विक तनाव से निवेशकों में सतर्कता

मादुरो से हो रही पूछताछ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक

न्यूयॉर्क, 05 जनवरी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अमेरिकी अधिकारियों ने रविवार को न्यूयॉर्क के एक हिरासत केंद्र में उनसे पूछताछ शुरू कर दी. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) में रखा गया है, जहां उनसे कथित ड्रग-तस्करी से जुड़े आरोपों पर पूछताछ की जा रही है. अमेरिका द्वारा जारी एक वीडियो में मादुरो को हथकड़ी लगाए हिरासत में ले जाते हुए दिखाया गया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

बताया गया है कि अमेरिका ने शनिवार को एक विशेष ऑपरेशन के तहत काराकास स्थित एक सुरक्षित आवास से मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने घटनाक्रम की



गंभीरता को देखते हुए सोमवार को आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया है.

इस घटनाक्रम पर विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाएं बंटी हुईं नजर आईं. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने संयम बरतने की अपील की, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तथ्यों की स्पष्टता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व की सराहना की.

वहीं, चीन, रूस, ईरान और

फ्रांस ने इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. जर्मनी ने तनाव न बढ़ाने और लोकतांत्रिक समाधान की वकालत की. अमेरिका के भीतर भी इस कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इसे गैरकानूनी बताया.



निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुपरा ने कहा पिता की गिरफ्तारी पर मां की कसम खाते हुए कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और कानूनी व राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे. घटनाक्रम से वैश्विक राजनीति में नए तनाव के संकेत मिल रहे हैं.

दुनिया दो खेमों में बंटी: वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर विवाद

वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरा विवाद खड़ा कर दिया है. अमेरिका की आलोचना करने वाले देशों में रूस, चीन, ईरान, वयूबा, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, घाना और सिंगापुर शामिल हैं. ये देश इसे अंतराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं. वहीं, अमेरिका के समर्थन में अर्जेंटीना, इजरायल, पेरू, अल साल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया, फ्रांस और ब्रिटेन खड़े हैं. भारत ने दोनों पक्षों से शांति और बातचीत से समाधान की अपील की है. इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी सैन्य हस्तक्षेप को न सही मानते हुए स्थिरता और लोकतांत्रिक बदलाव के लिए डिलोमेसी का समर्थन किया. स्थिति पर नजर रखते हुए, विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देशों ने दोहराई.

एक नजर में



सुलतानपुर में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश देर, सुलतानपुर. छात्रा से सामूहिक दुर्कर्म समेत 17 आपराधिक मामलों में वांछित शांति अपराधी तालिब उर्फ आमत खां रविवार देर रात सुलतानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. लखीमपुर खीरी और सुलतानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने लंथुआ कोतवाली क्षेत्र के दिवरा मोड़ के पास उसे घेर लिया था. खुरद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे सीएचसी लंथुआ ले जाया गया.

उच्च न्यायालयों में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना, इलाहाबाद और उतराखंड उच्च न्यायालयों में चार न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से की गई हैं. पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीन कुमार को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय और उतराखंड उच्च न्यायालय में सिद्धार्थ साह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायपालिका में कुशल और अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके.

भारत और यूएई के बीच रक्षा में बढ़ेगा सहयोग

- जनरल द्विवेदी ने यूएई में रक्षा सहयोग बढ़ाया
- भारत-यूएई द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत हुए

नई दिल्ली, 05 जनवरी. संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गये सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने सोमवार को वहां की सेना के कमांडर मेजर जनरल स्टाय यूसुफ मयौफ सईद अल हल्लामी से मुलाकात की. सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान सकारात्मक सैन्य सहभागिता को और मजबूत



करने, प्रशिक्षण में समन्वय बढ़ाने तथा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. जनरल चौहान ने अमीरात के सेना संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने वहां की थल सेना के समृद्ध इतिहास, परंपराओं

रूस से तेल आयात पर ट्रंप की भारत को चेतावनी, शुल्क बढ़ाने के संकेत

वाशिंगटन, 05 जनवरी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को कड़ा संदेश देते हुए आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है. उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई कर सकता है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी नाराजगी से थली-भांति अवगत हैं.

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को लेकर मैं खुश नहीं हूँ. वह एक अच्छे इंसान हैं और



समझते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार में मेरी संतुष्टि कितनी महत्वपूर्ण है. हम भारत पर बहुत जल्दी शुल्क बढ़ा सकते हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं जारी हैं और अमेरिका पहले ही भारत पर 50 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लागू कर चुका है.

न्यायाधीश जमानत देने में कतरा रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा— डर का माहौल न्यायिक स्वतंत्रता को कर रहा खत्म

नई दिल्ली, 05 जनवरी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि देशभर की निचली अदालतों के न्यायाधीश जमानत देने में कतरा रहे हैं और ऐसा मामलों में योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के निरंतर डर के कारण हो रहा है. न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विध्नाथन की पीठ ने चेतावनी दी कि डर का यह माहौल जिला स्तर पर न्यायिक

दूषित पेयजल कांड: मृतकों की संख्या 17 पहुंची

- भागीरथपुरा में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला
- बेटे से मिलने आए रिटायर्ड मिलिट्री मैन की मौत

नव भारत न्यूज इंदौर. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैल रही बीमारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहरीला पानी पीने से बीमार हुए लोगों में एक और व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई. इस घटनाक्रम में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़ते 17 हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.



धार जिले के निवासी और मिलिट्री से सेवानिवृत्त ओमप्रकाश शर्मा करीब 10 दिन पहले इंदौर बेटे से मिलने आए थे. वे भागीरथपुरा स्थित सरकारी स्कूल रोड पर रहने वाले अपने बेटे के यहां ठहरे थे. इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई हो रहा पानी पिया,

जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजन उन्हें पहले एक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर किया. वहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

डॉक्टरों का कहना है कि मिलिट्री से सेवानिवृत्त ओमप्रकाश शर्मा की किडनी फेल होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, जबकि परिजनों का दावा है कि उन्हें पहले से किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी. उनका आरोप है कि दूषित पानी से हुए इंफेक्शन के कारण ही किडनी में गंभीर समस्या पैदा हुई, जिससे उनकी जान चली

हाईकोर्ट में सुनवाई आज

इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को नोटिस जारी कर इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.



उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार

- पांच आरोपियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी
- दोनों के खिलाफ आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत

नई दिल्ली, 5 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में प्रमुख आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोनों की कथित आपराधिक साजिश में संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. हालांकि, कोर्ट ने दंगों से जुड़े अन्य पांच आरोपियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है.

यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर को जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर आया है. मामले में 10 दिसंबर 2025 को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता. अदालत के अनुसार, उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर प्रतीत होती है. कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि मुकदमे से पहले लंबी हिरासत के लिए राज्य को ठोस आधार दिखाने होते हैं, जो इस स्तर पर मौजूद हैं.

2020 दंगे और जांच का दावा

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को CAA और हज्रत के विरोध के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. जांच एजेंसियों के अनुसार यह हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसे राज्य को अस्थिर करने का प्रयास बताया है.